झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
एकादश (बजट) सत्र
वर्ग-06

निम्नांकित अल्प-सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक- 29 फाल्गुन, 1944(श0) / 20 मार्च, 2023 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगेः-

क्र0सं0	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
"ख"	206. अ0सू0-27	श्री प्रदीप यादव	भूजल का दोहन कम करना।	जल संसाधन विभाग।	28.02.23

नोट :-"क"- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पत्रांक- 1459, दिनांक- 06.03.23 द्वारा जल संसाधन विभाग में स्थानान्तरित।

"ख"-206, दिनांक- 18.03.23 को सदन द्वारा दिनांक- 20.03.23 के लिए स्थगित।

रॉंची,
दिनांक- 20 मार्च, 2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रॉंची।

ज्ञापांक संख्या- प्रश्न-14/2023.....1350...../वि0स0, रॉंची, दिनांक- 19/03/23

प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण, माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

18/03/2023

(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, रॉंची।

ज्ञापांक संख्या- प्रश्न-14/2023.....1350...../वि0स0, रॉंची, दिनांक- 19/03/23

प्रति :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ निजी सहायक सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

18/03/2023

उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, रॉंची

ज्ञापांक संख्या- प्रश्न-14/2023.....1350...../वि0स0, रॉंची, दिनांक- 19/03/23

प्रति :- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा/ J.V.S TV शाखा/ वेबसाईट शाखा, को सूचनार्थ प्रेषित।

18/03/2023

उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, रॉंची।

Niranjan

सत्यमेव जयते

पंचम्

झारखण्ड विधान–सभा

एकादश (बजट) सत्र

अल्प–सूचित प्रश्न

वर्ग–06

29 फाल्गुन, 1944(श)
सोमवार, दिनांक– 20 मार्च, 2023 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या–01(एक)

(1) जल संसाधन विभाग 01

कुल योग :– 01

भू–जल का दोहन कम करना।

"ख" 206 श्री प्रदीप यादव, क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

		प्रभारी मंत्री
1.	क्या यह बात सही है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार राँची, धनबाद, रामगढ़ एवं अन्य कई स्थानों के भू–जल की स्थिति चिंतनीय है ;	स्वीकारात्मक
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार भू–जल का कम दोहन एवं रिचार्ज के बारे में विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य भू–गर्भ जल अधिनियम बनाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके लागू होने के उपरान्त राज्य में भू–जल दोहन को प्रभावी रूप से Regulate किया जा सकेगा। भू–जल का दोहन कम हो इसको ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा डीप बोरवेल अधारित सिंचाई योजना का निर्माण नहीं किया जाता है। विभागीय पत्रांक– 58, दिनांक– 07.03.2022 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर झारखण्ड राज्य अंतर्गत विभिन्न जिलों के सरकारी/ अर्धसरकारी/ सार्वजनिक भवनों पर 178 अदद् रेन वाटर हार्भेस्टिंग संरचानाओं का निर्माण किया जा रहा है।

नोट :– "क" पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पत्रांक–1459, दिनांक–06.03.2023 द्वारा जल संसाधन विभाग में स्थानान्तरित।

"ख" 206, दिनांक–18.03.2023को सदन द्वारा दिनांक– 20.03.2023 के लिए स्थगित।

राँची,
दिनांक– 20मार्च, 2023ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

18.03.23

झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा

एकादश (बजट) सत्र

वर्ग–01

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 29 फाल्गुन, 1944 (श0) / 20 मार्च, 2023 (ई0) को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभागों को भेजी गई सां0स0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
113.	अ0सू0–32	श्री सुदेश कु0 महतो	नौकरी देना।	वित्त	06.03.23
223.	अ0सू0–20	श्री अमित कु0 यादव	पदोन्नति देना।	का0 प्र0 सु0 तथा राजभाषा	24.02.23
*224.	अ0सू0–10	श्री विरंची नारायण	सम्मान राशि दिलाना।	,, ,,	23.02.23
#225.	अ0सू0–25	श्री प्रदीप यादव	आर्थिक ~~नीति~~ लागू करना।	वित्त	28.02.23
226.	अ0सू0–19 (मुद्रित)	डॉ0 लम्बोदर महतो	अधिनियम बनाना।	का0 प्र0 सु0 तथा राजभाषा	24.02.23
227.	अ0सू0–06 (मुद्रित)	श्री भानू प्रताप शाही	छात्राओं का नियोजन।	,, ,,	20.02.23
228.	अ0सू0–34	श्री अनन्त कु0 ओझा	पद का सृजन।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	14.03.23

* कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक- 1123 दिनांक- 23.02.2023 के द्वारा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में स्थानांतरित।

वित्त विभाग के ज्ञापांक- 62 दिनांक- 06.03.2023 के द्वारा योजना एवं विकास विभाग में स्थानांतरित।

01	02	03	04	05	06
229.	अ0सू0-35	श्री सरयू राय	उच्चस्तरीय जाँच।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	14.03.23
230.	अ0सू0-33	श्री सरयू राय	विशेष सुविधा देना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.03.23
231.	अ0सू0-23 (मुद्रित)	डॉ0 लम्बोदर महतो	रिक्त पदों पर बहाली।	का0 प्र0 सु0 तथा राजभाषा	25.02.23
232.	अ0सू0-27 (मुद्रित)	श्री विनोद कु0 सिंह	आरक्षण का प्रावधान।	का0 प्र0 सु0 तथा राजभाषा	28.02.23

नोट :- आदेश पत्र संख्या-113, अ0सू0-32, दिनांक-13.03.2023 से सदन द्वारा स्थगित।

राँची
दिनांक-20 मार्च, 2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-02/2020-1341/वि0स0, राँची, दिनांक-18/03/23

प्रतिलिपि :- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

17/03/023

(संजय कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-02/2020-1341/वि0स0, राँची, दिनांक-18/03/23

प्रतिलिपि :-माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के निजी सहायक को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय तथा संयुक्त सचिव (प्रश्न) को सूचनार्थ प्रेषित।

17/03/023

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-02/2020-1341/वि0स0, राँची, दिनांक-18/03/23

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा/बेवसाईट शाखा/जे0भी0एस0 टी0भी0 शाखा/ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

17/3/023

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

16.03.23

(113)

S33
16/03/2023

श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–13.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–32 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य के नियोजनालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पास लाखों बेरोजगारों का नाम दर्ज है;	**स्वीकारात्मक।**
2	क्या यह बात सही है, कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट में स्नातक पास बेरोजगारों को सालाना 5,000 रूपये और स्नातकोत्तर पास बेरोजगारों को सालाना 7,000 रू० बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई थी। साथ ही मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 146 करोड़ रूपया का प्रावधान किया गया है;	**अस्वीकारात्मक।** वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में नियोजन सेवा का विस्तार योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता इकाई में रुपये 12,320.37 लाख की राशि का बजटीय उपबंध किया गया था, जिसे प्रत्यर्पित कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2021–22 में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता इकाई में रुपये 8,766.80 लाख की राशि का बजटीय उपबंध किया गया था, जिसे प्रत्यार्पित कर दिया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना /मुख्यमंत्री युवा उड़ान योजना/मुख्यमंत्री युवा सामर्थ्य योजना एवं मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में कुल रुपये 8322.59 लाख की राशि का बजटीय उपबंध किया गया था, जिसे भी प्रत्यर्पित करते हुए एक नयी योजना मुख्यमंत्री सारथी योजना को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, जो दिनांक–01.04.2023 से प्रारंभ होगी।
3	क्या यह बात सही है, कि यह योजना दो साल के लिए थी और बजट में घोषणा के दो साल बीत जाने के बाद भी युवाओं को अब तक एक रूपया बेराजगारी भत्ता नहीं मिला है;	उपरोक्त कंडिका–2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्नातक पास बेरोजगारों को सालाना 5000 रू० एवं स्नातकोत्तर पास बेरोजगार को सालाना 7000 रू० बेरोजगारी भत्ता या नौकरी देने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभागीय संकल्प संख्या–1198, दिनांक–14.10.2022 के द्वारा स्वीकृत मुख्यमंत्री सारथी योजना को वित्तीय वर्ष 2023–24 में दिनांक–01.04.2023 से लागू होना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सारथी योजना के घटको के अन्तर्गत प्रशिक्षण पाठयक्रमों का संचालन करने के संबंध में निम्न मानदण्डों के अनुरूप किये जाने का उल्लेख है:– (क). गैर आवासीय प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थियों को उनके घर से प्रशिक्षण केन्द्र तक आने–जाने हेतु प्रतिमाह राशि रूपये 1,000/– (एक हजार) Direct Benefit Transfer(DBT) के माध्यम से दी जायेगी। (ख) प्रशिक्षणोंपरांत प्रमाणित सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणीकरण के 03 (तीन) माह के अंदर नियोजन न होने की स्थिति में अधिकतम एक वर्ष तक युवकों को प्रतिमाह रूपये 1,000/–(एक हजार) एवं युवतियों/दिव्यांग/ परलैगिंक को प्रतिमाह रूपये 1,500/– (एक हजार पाँच सौ) रोजगार प्रोत्साहन भत्ता दिये जाने का प्रावधान है।

16/03/2023

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–27 / 2023श्र0नि0– 533 राँची, दिनांक– 16/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय का पत्र सं0–1015 / वि0स0, दिनांक– 06.03.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/03/2023

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–27 / 2023श्र0नि0– 533 राँची, दिनांक– 16/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–63 / वि0स0, दिनांक– 09.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/03/2023

सरकार के अवर सचिव।

(223)

माननीय स०वि०स० श्री अमित कुमार यादव द्वारा दिनांक 20.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–20 से संबंधित उत्तर सामग्री

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड राज्य के सरकारी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को तृतीय वर्ग के पद पर प्रोन्नति देने का प्रावधान है;	अस्वीकारात्मक। "झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010", "झारखण्ड राज्य लिपिक/लिपिक–सह–टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2010" तथा "झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) नियमावली, 2016" में लिपिकीय संवर्ग के मूल कोटि के 15 प्रतिशत पदों पर समूह–घ से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति का प्रावधान है।
2.	क्या यह बात सही है, कि राज्य में करीब 500 से अधिक चतुर्थ वर्गीय योग्य कर्मचारी विगत् 10–20 वर्षों से कार्यरत है जो तृतीय श्रेणी कर्मचारी के समतुल्य वेतन पा रहे हैं परन्तु उनको पद प्रोन्नति नहीं दिया गया है;	अस्वीकारात्मक। राज्य के कर्मियों को ए०सी०पी० योजना के तहत 12 एवं 24 वर्षों की लगातार नियमित सेवा के उपरांत वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता था तथा वर्त्तमान में एम०ए०सी०पी० योजना के तहत 10, 20 एवं 30 वर्षों की लगातार नियमित सेवा उपरांत वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है। ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के तहत प्राप्त वित्तीय उन्नयन के अन्तर्गत उच्चतर पद प्रदान नहीं किया जाता है।
3.	क्या यह बात सही है कि इनके प्रोन्नति हेतु आयोजित होने वाली सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में कम्प्युटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें ये कर्मी सफल नहीं हो पाते हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय के लिपिकीय संवर्ग में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–4602 दिनांक–06.08.2011 के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में कम्प्यूटर दक्षता का विषय शामिल नहीं है। क्षेत्रीय एवं समाहरणालय के लिपिकीय संवर्ग में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या–10536 दिनांक–12.10.2017 के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में कम्प्यूटर ज्ञान का विषय शामिल है। सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग तथा क्षेत्रीय एवं समाहरणालय के लिपिकीय संवर्ग में संबंधित परीक्षा संचालन नियमावली के प्रावधानों के आलोक में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चतुर्थवर्गीय कर्मियों की नियुक्ति की गयी है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नियम को शिथिल करते हुए राज्य के योग्य चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को तृतीय वर्ग के पद पर प्रोन्नति देना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–05/2023 का०–160/राँची, दिनांक– 17.03.2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या–426 दिनांक–24.02.2023 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/2023

(ब्रज माधव)
सरकार के अवर सचिव।

(224)

श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–20.03.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि अलग राज्य बनाने के लिए झारखण्ड और वनांचल के नाम पर वृहद जन आंदोलन किया गया और आंदोलनकारियों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए झारखण्ड वनांचल और जे०पी० आन्दोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग बनाया गया था;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने उक्त आयोग से वनांचल और जे०पी० शब्द को विलोपित कर दिया है एवं इस विलोपन से वनांचल और जे०पी० आंदोलनकारियों को अब आयोग द्वारा चिन्हित नहीं किया जा रहा है, जिस कारण ये लोग प्रोत्साहन और सम्मान से वंचित किए जा रहे है;	स्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प सं०–1938, दिनांक–20.04.2021 के आलोक में अधिसूचना सं०–2502, दिनांक–14.07.2021 द्वारा झारखण्ड अलग राज्य बनाये जाने हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों/आश्रितों को चिन्हित कर सम्मान/सुविधा लाभ प्रदान किये जाने के निमित्त सेवानिवृत अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। जिसे विभागीय अधिसूचना सं०–2836, दिनांक–15.07.2022 द्वारा दिनांक–13.07.2024 तक विस्तारित किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आंदोलनकारियों के हित में वनांचल और जे०पी० आंदोलनकारियों को भी सम्मिलित करने तथा सम्मान राशि दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०–704/2023–....1322../ राँची, दिनांक– 18/03/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–222, दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

225

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 20.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–25 की उत्तर सामग्री

क्र.सं.	अल्पसूचित प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में देश की प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख रू0 है वहीं झारखण्ड का प्रति व्यक्ति आय मात्र 85,485 रू0 है;	अंशतः स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2022–23 में देश की प्रति व्यक्ति आय **प्रचलित मूल्य (Current Price)** पर **1,72,000/-** (द्वितीय अग्रिम आकलन) है। झारखण्ड की प्रति व्यक्ति आय वित्तीय वर्ष 2022–23 में **86,060/-** रूपये का आकलन किया गया है। जबकि **स्थिर मूल्य (2011–12)** पर देश की प्रति व्यक्ति आय (2022–23) में **98,118 रूपये** और स्थिर मूल्य (2011–12) पर झारखण्ड की प्रति व्यक्ति आय (2022–23) में **58,819 रूपये** है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में 2021–22 में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार गरीबी का अनुपात 46.16 है जिसमें ग्रामीण 48.27% तथा शहरी 44.24% है;	देश एवं राज्य में बहुआयामी गरीबी का आकलन NFHS (National Family Health Survey) के आँकड़ो के अनुसार होता है। वर्ष 2021–22 के राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण में गरीबी का आँकड़ा नीति आयोग के Baseline रिपोर्ट के आधार पर था जिसमें राज्य की कुल गरीबी NFHS के चौथे राउण्ड के सर्वे (2015–16) के आधार पर 42.16% आंकी गई थी, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में यह गरीबी 50.93% और शहरी क्षेत्र में 15.26% थी। NFHS के पाँचवें राउण्ड (2019–21) के आँकड़े के आ जाने के बाद राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23 में गरीबी का आकलन इस आँकड़े के आधार पर किया गया, जिसके अनुसार राज्य में कुल गरीबी 36.6% है। ग्रामीण क्षेत्र में यह 42.2% एवं शहरी क्षेत्र में 11.1% है। इस तरह राज्य की गरीबी में पिछले 5 वर्षों में 13.2% की कमी आयी है। ग्रामीण क्षेत्र में यह कमी 17.1% एवं शहरी में 27.3% की रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने हेतु ठोस आर्थिक रणनीति लागू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने हेतु वार्षिक बजट 2023–24 में ठोस आर्थिक रणनीति के तहत् ग्रामीण प्रक्षेत्रों में बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। इसके तहत् **कृषि, ग्रामीण कार्य एवं ग्रामीण विकास** हेतु आगामी वित्तीय वर्ष के लिए क्रमशः 4 हजार 6 सौ 27 करोड रुपये **(4627.00 करोड़)**, 4 हजार 2 सौ 93 करोड़ 57 लाख रुपये **(4293.57 करोड़)** एवं 8 हजार 1 सौ 66 करोड़ रुपये **(8166.00 करोड़)** का प्रावधान किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 1 लाख 16 हजार 4 सौ 18 करोड़ रुपये **(1,16,418.00 करोड़)** के बजट में 39 हजार 7 सौ 36 करोड़ 11 लाख रुपये **(39,736.11 करोड़)**, (34.13%) आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए प्रावधानित किया गया है जिसका सीधा सम्बन्ध आम जनता की आय वृद्धि से है।

झारखण्ड सरकार
योजना एवं विकास विभाग

ज्ञापांक : यो0वि0 / वि0स0–अल्पसूचित–01 / 2023 ..233.. राँची, दिनांक : 17/03/23

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को कुल 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/3/23
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : यो0वि0 / वि0स0–अल्पसूचित–01 / 2023 ..233.. राँची, दिनांक : 17/03/23

प्रतिलिपि : विशेष कार्य पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके के पत्र सं0–62 दिनांक 06.03.2023 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

17/3/23
सरकार के अवर सचिव

अधिनियम बनाना ।

उत्तर मुद्रित 226. डॉ० लम्बोदर महतो--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 14 सितम्बर, 2022 को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिये जाने के पश्चात् 11 नवम्बर, 2022 को झारखण्ड राज्य के 3.5 करोड़ जनता के हित में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति से संबंधित विधेयक ''झारखण्ड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणाम सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक, 2022'' झारखण्ड विधान-सभा के द्वारा पारित किया गया है किन्तु उक्त विधेयक अब तक अधिनियम नहीं बन सका और अब तक झारखण्ड राज्य में लागू नहीं हो पाया है जिसके कारण राज्य के लाखों शिक्षित बेरोजगारों में आक्रोश व्याप्त है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड राज्य के 3.5 करोड़ जनता के हित में 1932 खतियान आधारित उक्त विधेयक को अधिनियम बना कर राज्य में लागू कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) अंशतः स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि ''झारखण्ड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक, 2022'' को दिनांक 11 नवम्बर, 2022 को विधान-सभा द्वारा पारित किया गया है । तदुपरान्त अग्रेतर विधायी कार्य प्रक्रियाधीन है ।

(2) उपर्युक्त कंडिका से स्थिति स्पष्ट है ।

छात्राओं का नियोजन ।

उत्तर मुद्रित

227. श्री भानु प्रताप शाही--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा वर्त्तमान सरकार के कार्य काल में अब तक 12 नियुक्ति परीक्षा विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सभी परीक्षा के लिए लगभग 25 लाख छात्र-छात्राओं ने आवेदन दिया था;

(3) क्या यह बात सही है कि नियोजन नीति पर विधि विभाग ने आपत्ति दर्ज करायी थी;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्र-छात्राओं का नियोजन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) स्वीकारात्मक ।

(2) अस्वीकारात्मक । झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची के पत्रांक 287 दिनांक 4 मार्च, 2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उक्त सभी परीक्षाओं के लिए कुल 11,15,397 (ग्यारह लाख पन्द्रह हजार तीन सौ संतानबे) वैध आवेदन प्राप्त हुए ।

(3) विधि विभाग तथा विद्वान महाधिवक्ता से विधिक परापर्श प्राप्त करते हुए सम्यक् विचारोपरांत झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित परीक्षा संचालन (संशोधन) नियमावलियों का गठन किया गया ।

(4) माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(C) No.3894/2021 रमेश हाँसदा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा अन्य संलग्न वादों में दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए परीक्षा संचालन (संशोधन) नियमावलियों का गठन किया जा चुका है ।

राज्य सरकार अन्तर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्ति के निमित्त विभागों से अधियाचना प्राप्त करते हुए विज्ञापन के प्रकाशन की कार्रवाई शीघ्र की जाएगी ।

228

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–34 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र० सं०	प्रश्नकर्त्ता श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा	उत्तरदाता श्री बन्ना गुप्ता, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला सहित राज्य के अन्तर्गत गंगा नदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, पतरातू डैम, मैथन डैम, पंचेत डैम तथा दर्जनों प्राकृतिक जलप्रपात हैं, यहाँ गोताखोरों का पद सृजन करते हुए उनकी नियुक्ति नहीं की गई है, जिससे जानमाल की सुरक्षा एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति में काफी नुकसान उठाना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य में गोताखोर का पद सृजित नहीं है। राज्य में राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) गठित है एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की Regional Response Centre, राँची एवं देवघर में कार्यरत है, जो राज्य के विभिन्न जिलों में आपदा की स्थिति में समय–समय पर अपनी सेवायें दे रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य अन्तर्गत सभी जिलों में गोताखोरों को स्थानीय स्तर पर रखा गया है, परंतु मानदेय भुगतान नहीं किया जा रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। स्थानीय स्तर पर आवश्यकतानुसार गोताखोरों की सेवायें ली जाती हैं।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गोताखोरों का पद सृजन करते हुए नियुक्ति तथा उचित मानदेय दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक–33-03/2020-NDM-I (Vol-II) दिनांक–10.10.2022 द्वारा वर्ष 2022–23 से 2025–26 की अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) से सहायता के लिए निर्गत मद एवं मानदण्ड में गोताखोरों का पद सृजन कर नियुक्त करने/मानदेय भुगतान करने का प्रावधान अंकित नहीं है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07/विधायी(अ०सू०)–10/2023– 224 **/आ०प्र०, राँची, दिनांक–** 19.03.2023 /

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची एवं अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1176/वि०स०, दिनांक–14.03.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/2023

(अमरेश कुमार नीरज)
सरकार के उप सचिव।

229

श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–20.03.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–35 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के सिदगोड़ा थाना में श्री सुबोध कुमार श्रीवास्तव द्वारा दायर प्राथमिकी संख्या– 174/22, दिनांक–29.10.2022 में अबतक चार्जशीट/फाइनल रिपोर्ट दाखिल नहीं हुआ है और अनुसंधान का कार्य अभी भी लंबित है ;	अस्वीकारात्मक। सिदगोड़ा थाना काण्ड संख्या–174/22, दिनांक–29.10.2022 में अनुसंधान पूर्ण करते हुये काण्ड में शामिल 25 नामजद प्राथमिकी अभियुक्त एवं 14 अप्राथमिकी अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप–पत्र संख्या–61/23 समर्पित किया गया है। काण्ड का अनुसंधान पूर्ण है।
2	क्या यह बात सही है कि पुलिस द्वारा टाटा मेन अस्पताल से प्राप्त मेडिकल प्रतिवेदन में प्राथमिकीकर्त्ता के गंभीर रूप से घायल होने का प्रतिवेदन दिया गया है, इसके बावजूद नामजद अभियुक्तों को पुलिस ने थाना से ही जमानत दे दी है ;	वस्तुस्थिति यह है कि वादी द्वारा अपना ईलाज पहले एम०जी०एम० अस्पताल में एवं बाद में टी०एम०एच० अस्पताल, जमशेदपुर में कराया गया था। दिनांक–30.11.2022 को एम०जी०एम० अस्पताल एवं दिनांक–23.12.2022 को टी०एम०एच० अस्पताल से प्राप्त दोनों जख्म जाँच प्रतिवेदन में चिकित्सक द्वारा वादी के जख्म की प्रकृति साधारण एवं भोथरे पदार्थ से कारित करने का उल्लेख किया गया है। पुनः दिनांक–18.01.2023 को टी०एम०एच० अस्पताल के द्वारा दिये गये जख्म जाँच प्रतिवेदन में पुराने दिये गये जख्म जाँच प्रतिवेदन की नकल उतारते हुये नीचे में अतिरिक्त मंतव्य लिखते हुये जख्म की प्रकृति गंभीर बतायी गयी है, जो उचित एवं सुसंगत प्रतीत नहीं होता है। यह काण्ड धारा–147/148/149/341/323/325/307/354/379/504/506 मा०द०वि० के अंतर्गत प्रतिवेदित हुआ था। अनुसंधान के क्रम में यह काण्ड धारा–147/148/149/341/323/504/506 मा0द0वि0 में सत्य पाया गया है। उपरोक्त धारायें जमानतीय होने के कारण काण्ड के 33 अभियुक्तों को दिनांक–15.01.2023 तथा 06 अभियुक्तों को दिनांक–06.02.2023 को थाना से जमानत दिया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि इस कांड के अनुसंधान में पुलिस का रवैया निष्पक्ष नहीं है और अभियुक्तों के प्रति सहानुभूति रखने वाला है तथा मामले पर लीपापोती करने वाला है ;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गंभीर चोट का मेडिकल प्रतिवेदन प्राप्त होने के बावजूद अभियुक्तों को थाना से ही जमानत दे देने की उच्चस्तरीय जाँच कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स०(04)–22/2023–1463/ राँची, दिनांक– 19/03/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1175, दिनांक–14.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

(230)

श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–20.03.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–33 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड पुलिस के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों पर पुलिस मैनुअल के सभी नियम लागू होते है और वे पुलिस बल के साथ जंगल, पिकेट एवं उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में ड्यूटी करते है;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड पुलिस विभागान्तर्गत चतुर्थवर्गीय कर्मचारी पर झारखण्ड पुलिस हस्तक नियम भाग–01 के अध्याय–27 एवं पुलिस हस्तक नियम भाग–03 के परिशिष्ट–41 के पार्ट–III आंशिक रूप से लागू है तथा ये पुलिस बल के साथ ड्यूटी करते हैं।
2	क्या यह बात सही है कि पूरे सेवाकाल में इन्हें पदोन्नति नहीं मिलती है और वर्दी एवं अन्य आर्थिक लाभ की सुविधा भी नहीं मिलती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों का अलगा पदसोपान नहीं रहने कारण इन्हें पदोन्नति नहीं मिलती है। किन्तु ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० योजना जैसे अन्य आर्थिक लाभ प्रदान की जाती है। झारखण्ड पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को वर्दी भत्ता (वार्षिक), राशन भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता (प्रतिमाह) दिया जाता है।
3	क्या यह बात सही है कि 7 वें वेतनमान के आलोक में जगुआर के जवानों को पुनरीक्षित भत्ता एवं अन्य विशेष सुविधाओं में की गई कटौती को बहाल करने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति की अनुशंसा आ जाने के बाद भी इन्हें 7 वें वेतनमान् के अनुरूप भत्ता एवं अन्य सुविधाएँ नहीं दी जा रही है;	स्वीकारात्मक। वर्त्तमान समय में छठे वेतनमान के अनुरूप मूलवेतन का 50 प्रतिशत STF भत्ता का भुगतान किया जा रहा है। सातवें वेतनमान में मूल वेतन में अप्रत्याशित वृद्धि के फलस्वरूप नये (7वाँ) वेतनमान के अनुरूप STF भत्ता एवं अन्य सुविधा का पुनरीक्षण वर्त्तमान में प्रक्रियाधीन है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पुलिस के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को ट्रेड–रैंक पुलिस घोषित करने तथा जगुआर के जवानों को पुनरीक्षित एसटीएफ भत्ता एवं अन्य विशेष सुविधाएँ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को ट्रेड–रैंक पुलिस घोषित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। सातवे वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमान में छठे वेतनमान की तुलना में मूल वेतन में अप्रत्याशित वृद्धि के फलस्वरूप वर्ष 2008 के संकल्प के अनुसार मूल वेतन का 50 प्रतिशत STF भत्ता के निर्णय को राज्य सरकार के सीमित संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में STF भत्ता एवं अन्य विशेष सुविधा को सातवें वेतनमान के आलोक में पुनरीक्षित करने हेतु छः सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। तदोपरांत मंत्रिपरिषद् द्वारा निर्णय लिया गया था कि STF के पदाधिकारियों/कर्मियों को मिलने वाले STF भत्ता एवं अन्य विशेष सुविधा सातवें वेतनमान के आलोक में पुनरीक्षित करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार के निर्णय से अच्छादित होगा । STF भत्ता एवं अन्य विशेष सुविधा के पुनरीक्षण हेतु गठित समिति की कई बैठकों के उपरान्त समिति की अनुशंसा विभाग को प्राप्त हो गई है जिस पर राज्य सरकार का अंतिम निर्णय प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–12/वि०स०–8001/2023–1334/ राँची, दिनांक– 18/03/2023ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1118, दिनांक–13.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

रिक्त पदों पर बहाली ।

231. डॉ० लम्बोदर महतो--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 16 दिसम्बर, 2022 को झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा सरकार की असंवैधानिक JSSC स्नातक स्तर परीक्षा संचालन नियमावली को रद्द किये जाने के कारण 11 लाख से अधिक आवेदन तथा 11 हजार से ज्यादा पदों पर नियुक्ति परीक्षा रद्द हो गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान में सरकार के पास कोई स्थानीयता नियोजननीति एवं JSSC स्नातक स्तर परीक्षा संचालन नियमावली नहीं रहने के कारण 3 लाख 59 हजार से ज्यादा पदों की रिक्तियाँ नहीं ले रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलंब 1932 खतियान आधारित स्थानीयनीति/नियोजननीति एवं परीक्षा संचालन नियमावली बनाते हुए रिक्त पदों पर बहाली करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए परीक्षा संचालन (संशोधन) नियमावलियों एवं तदनुसार विभिन्न पदों से संबंधित नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त संशोधित नियमावलियों का गठन करते हुए विभिन्न स्तरों के लिए लगभग 11 हजार रिक्त पदों पर नियुक्ति निमित्त वर्ष 2021 एवं 2022 में विज्ञापन प्रकाशित किये गए ।

उक्त प्रकाशित विज्ञापनों के आलोक में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक सहायक के कुल 58 रिक्त पदों एवं रिम्स, राँची अन्तर्गत परिचारिका श्रेणी 'ए' के कुल 333 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है ।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P. (C) No. 3894/2021 रमेश हाँसदा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा अन्य संलग्न वादों में दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में कार्मिक विभागीय पत्रांक 604 दिनांक 30 जनवरी, 2023 के द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 12 विज्ञापनों को रद्द कर दिया गया है ।

(3) झारखण्ड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक, 2022'' को दिनांक 11 नवम्बर, 2022 को विधान सभा द्वारा पारित किया गया है । तदोपरान्त अग्रेत्तर विधायी कार्य प्रक्रियाधीन है ।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए परीक्षा संचालन (संशोधन) नियमावलियों का गठन किया जा चुका है ।

राज्य सरकार अन्तर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्ति के निमित विभागों से अधियाचना प्राप्त करते हुए विज्ञापन के प्रकाशन की कार्रवाई शीघ्र की जाएगी ।

आरक्षण का प्रावधान ।

232. श्री विनोद कुमार सिंह--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी 10 प्रतिशत से भी कम है;

(2) क्या यह बात सही है कि संविधान का अनुच्छेद 15(3) महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी सरकारी नौकरियों में महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए उनकी भागीदारी हेतु 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) अस्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्क ।

(3) वर्तमान में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 के द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं हेतु 5 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है । उक्त आरक्षण प्रतिशत में बदलाव का कोई प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

राँची:
दिनांक: 20 मार्च, 2023 (ई०) ।

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।